संख्याः563(1)/8–3–12–27 विविध/08

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
   नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.,
   7–बन्दरियाबाग, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 02 मार्च,2012

विषयः आउट सोर्सिंग के माध्यम से जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 876/8–3–2008–27 विविध/2008, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से जोनल डेवलपमेन्ट प्लान बनाने हेतु कन्सलटेन्ट के चयन के लिए बिड डाक्युमेन्ट का निर्धारण किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि बेसमैप हेतु आवश्यक सर्वेक्षण कार्यों का अनुभव तथा नियोजन सम्बन्धी कार्यों का आवश्यक अनुभव एक साथ रखने वाले कन्सल्टेन्ट्स की उपलब्धता बहुत कम होने के कारण आउट–सोर्सिंग के माध्यम से जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए कन्सल्टेण्ट के चयन में कठिनाई आ रही है। अतः जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने हेतु बेसमैप तैयार करने एवं नियोजन सम्बन्धी कार्यों को अलग–अलग (Split) करते हुए कन्सल्टेन्ट के माध्यम से कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बेसमैप कन्सल्टेण्ट के माध्यम से तैयार कराने के उपरान्त जोनल डेवलपमेंट प्लान हेतु नियोजन सम्बन्धी प्रस्ताव विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैयार कराया जाना सम्भव हो सके।

3. अतः उक्त कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए आउट–सोर्सिंग से सम्बन्धित टेण्डर की प्रकिया दो भागों में भी पूर्ण की जा सकती है। पहले भाग में सेटेलाइट इमेजरी/टोटल स्टेशन के माध्यम से बेसमैप तैयार करने एवं सजरा मानचित्र पर सुपरइम्पोजीशन की कार्यवाही

सम्पादित कराई जाए, जबकि जोनल डेवलपमेंट प्लान (नियोजन सम्बन्धी) कार्य हेतु अलग से टेण्डर किया जा सकता है।

4. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए जोनल डेवलपमेन्ट प्लान से सम्बन्धित बिड–डाक्युमेंट को स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार संशोधित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन की वेबसाइट पर 'अपलोड' कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव